भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 352

दिनांक 04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कॉफी की खेती को बढ़ावा देना

352 **कैप्टन बृजेश चौटा:**
क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या सरकार ने दक्षिण कन्नड़ जिले में सुपारी के विकल्प के रूप में कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई पहलों, योजनाओं या किसानों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार किसानों के लिए कॉफी की खेती के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चला रही है या तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में कॉफी उत्पादकों के लिए बाजार तक पहुंच, मूल्य निर्धारण और अवसरंचना से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): कॉफी बोर्ड ने हाल ही में दक्षिण कन्नड़ जिले में कॉफी की खेती को बढ़ावा देने की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए एक सर्वेक्षण किया। दक्षिण कन्नड़ जिले में, बेल्थांगडी तालुक की मालवंतिगे पंचायत जैसे कुछ हिस्सों में पहले से ही कॉफी की फसलों की खेती की जा रही है और उस क्षेत्र में कॉफी उत्पादकों को विस्तार सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। कॉफी बोर्ड अपनी योजना 'एकीकृत कॉफी विकास परियोजना' के माध्यम से विभिन्न क्रियाकलाप करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बीजों का वितरण, प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रम, मृदा विश्लेषण और उचित पोषक तत्व प्रबंधन के लिए सलाहकार सेवाएं, जैव-नियंत्रण एजेंटों की आपूर्ति और गुणवत्ता में सुधार के लिए कप की गुणवत्ता का मूल्यांकन शामिल है।

(ग) और (घ) उन क्षेत्रों में जो कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त हैं, कॉफी बोर्ड उत्पादकों के तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने और कॉफी की खेती की परिपाटियों में सुधार के लिए मृदा विश्लेषण, कॉफी की खेती संबंधी परामर्श,

गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी सेवाओं का विस्तार करता है। अपनी स्कीम 'एकीकृत कॉफी विकास परियोजना' स्कीम के तहत कॉफी बोर्ड सुखाने के यार्ड, सौर टनल ड्रायर, मैकेनिकल ड्रायर, गोदाम, कॉफी पल्पर, पानी की टंकी और सिंचाई उपकरण जैसे अवसंरचनागत के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, बाजार पहुंच में सुधार करने के लिए, कॉफी बोर्ड जैविक कॉफी प्रमाणन प्रदान करता है, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करता है, मेलों में भाग लेता है, कार्यशालाएं आयोजित करता है और हितधारकों के साथ कपिग सत्र आयोजित करता है। कॉफी बोर्ड मूल्य खोज में सहायता के लिए हितधारकों को नियमित रूप से वैश्विक और घरेलू बाजार की जानकारी भी प्रदान करता है। कॉफी बोर्ड अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कॉफी बाजार के बारे में उत्पादकों और उद्यमियों के बीच जागरूकता भी पैदा करता है।

******